FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Karnal **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0029 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 06/09/2025 16:26 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
3	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 08/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 06/09/2025

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 15:50 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 06/09/2025 **Time (समय):** 16:00 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007 **Date and Time (दिनांक और समय):** 06/09/2025 16:13 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** WEST, 110 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): पिल्लूखेड़ा, जीन्द,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक कृष्ण कुमार

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1969

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	Kothi No 2206, Sec-7, ACB, Karnal, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Kothi No 2206, Sec-7, ACB, Karnal, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416565382

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुरेश कानुनगो हल्का तहसील पिल्लुखेडा			1. कार्यालय तहसील पिल्लुखेडा,JIND,HARYANA,INDIA
2	नेहरु प्राईवेट व्यक्ति			1. पिल्लूखेड़ा,JIND,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में.प्रबंधक अफसर, राज्य सतर्कता एवंभ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,करनाल मण्डल करनाल। श्रीमान जी,निवेदन है कि शिकायतकर्ता श्री राजेश पुत्र श्री अमर सिंह गांव मोरखी जिला जीन्द की शिकायत कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उपकेन्द्र जीन्द में दिनांक 08.08.2025 को प्राप्त होने पर नि. दिनेश कुमार ने क्रमांक नं. 405/रा.स.एवं भ.नि.ब्यूरो जीद दिनांक 08.08.2025 पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल को अभियोग अंकित करने की अनुमति प्रदान करने हेतु भेजी गई थी । जो पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल करनाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा को पत्र क्रमांक नं. 2822/रा.स. एवं भ.नि.ब्यूरो/करनाल दिनांक 11.08.2025 अनुसार अभियोग अंकित करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजी गई थी । जिस पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो पंचकुला से पत्र क्रमांक 17172/Complaint/320/करनाल/ dated 26-08-2025 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो करनाल मण्डल, करनाल के डायरी क्रमांक 1981 दिनांक 01.09.2025 तथा कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो पंचकुला के पत्र क्रमांक न. 17911/ Complaint/320/करनाल/dated 05-09-2025 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो करनाल मण्डल, करनाल के डायरी क्रमांक 2044 दिनांक 06.09.2025 अनुसार आज मन निरीक्षक को आगामी कार्यवाही के लिए प्राप्त हुई । राजेश पुत्र अमर सिंह गाँव मोरखी जिला जींद द्वारा दी गई शिकायत इस प्रकार से है:- "मैं राजेश पुत्र श्री अमर सिंह गांव मोरखी जिला जीन्द का रहने वाला हू । वर्ष 2021 में अपनी कृषि योग्य भूमि का बंटवारा करने हेतू एक केस नायब तहसीलदार पिल्लुखेडा के पास डाला हुआ है जो यह केस ओमति पत्नी रघबीर पुत्र रामधारी वगैरा बनाम मांगा, बलबीर पुत्रान अभेराम पुत्र तेजा वगैरा के नाम से चला हुआ है जिसमें मेरा भी हिस्सा है, इस केस में नायब तहसीलदार पिल्लुखेडा ने नक्शा बै बनाने के आदेश पारित करके हल्का कानुनगो पिल्लुखेडा को लोकल कमीशन फीस 2000 रुपये लेकर दिनांक 17.07.25 को नक्शा बै पेश करने बारे आदेश किए हुए हैं । जब मैं इस सम्बन्ध में सुरेश हल्का कानुनगो तहसील पिल्लुखेडा से दिनांक 01.08.2025 को उसके कार्यालय तहसील पिल्लुखेडा में मिला तो उसने नक्शा बै बनाने की एवज में 25000 रुपये रिश्वत की मांग की तथा मेरे को कहा कि नेहरु जो नाई की दुकान पिल्लुखेडा नहर पर किए हुए है मेरा जानकार है उससे मिल लेना । जो उसी दिन सुरेश कानुनगो के कहने पर मैं नेहरु से मिला तो नेहरु ने उसी समय सुरेश कानुनगो से फोन पर बात की और फोन पर बात करने उपरान्त सुरेश कानुनगो के कहे अनुसार नेहरु मुझे सुरेश कानुनगो के पास उसके कार्यालय में ले गया । जो मेरे वहां पर सुरेश कानुनगो से पैसे कम करने के लिए बार बार निवेदन करने पर वह 15000 रुपये में नक्शा बै बनाने के लिए राजी हो गया । तथा उसी समय कानूनगो सुरेश ने मेरे से 5000 रुपये नेहरु को दिलवा दिए और कहा कि 10 हजार रुपये बाद में दे देना और उसके बाद ही आपका नक्शा वै तैयार करूंगा । जो सुरेश कानुनगो व नेहरु आपस में मिलीभगत करके मेरे से यह रिश्वत की राशि लेना चाहते हैं । मैं इस भ्रष्ट सुरेश कानुनगो तहसील पिल्लूखेडा व नेहरु को यह रिश्वत की राशि देना नहीं चाहता और बगैर पैसे लिए यह हमारी जमीन का नक्शा बै तैयार नहीं करेगा । सुरेश कानुनगो व नेहरु के मंगवाए अनुसार मैं दिनांक 07.08.25 को उनको 10 हजार रुपये रिश्वत की राशि देने के लिए गया तो सुरेश कानुनगो तहसील में हाजिर नहीं मिला और नेहरु अपनी दुकान में हाजिर नहीं मिला और इनसे फोन पर सम्पर्क किया तो इन्होने मेरे से मिलने से आनाकानी की । जो इस भ्रष्ट सुरेश कानुनगो व नेहरु उपरोक्त के खिलाफ कानुनी कार्यवाही की जाए । रिश्वत की मांग बारे मैंनें सुरेश कानुनगो व नेंहरु की आडियो रिकार्डिंग की हुई है जिसकी सीडी मैं इस दरखास्त के साथ पेश कर रहा हूँ । राजेश कुमार पुत्र अमर सिंह वासी गाँव मोरखी जिला जींद मो नं0 9896768220 शिकायतकर्ता राजेश द्वारा सीडी निरीक्षक दिनेश कुमार भ्र० नि० ब्यूरो, उपकेन्द्र जीन्द को पेश की गई निरिक्षक दिनेश कुमार ने पेश सीडी में रिकोर्डिंग बातचीत सुनकर हिंदी अनुलेख किया । राजेश कुमार उपरोक्त द्वारा अपनी शिकायत में सुरेश कुमार कानूनगो तहसील पिल्लूखेड़ा व नेहरू प्राईवेट व्यक्ति के खिलाफ उचित कानूनी कारवाई करने का अनुरोध किया है जो शिकायत के मजबून से व सीडी में रिश्वत की मांग करने की रिकोर्डिंग आवाज के हिंदी अनुवाद के अध्ययन से आरोपी सुरेश कुमार कानूनगो तहसील पिल्लूखेड़ा व नेहरू के द्वारा धारा 7, 7ए पीसी एक्ट 1988 व 61 (2) बीएनएस का अपराध किया है तथा आरोपी का यह कृत्य Ex-facie आपराधिक प्रकृति का है जिसके लिए धारा 17ए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अनुसार कोई पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है, अतः उनके खिलाफ धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 व 61 (2) बी.एन.एस. घटित होना पाया जाने पर तहरीर अंकित की जाकर अभियोग अंकित किया जा रहा है दर्ज अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण को भिजवाई जा रही है अभियोग में आगामी अनुसंधान हेतु अन्य अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाए । अजः- थाना रा.स. एवं भ. नि. ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल Sd/-

Krishan Kumar निरीक्षक (कृष्ण कुमार), राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,करनाल मण्डल, करनाल दिनांक 06.09.2025

अज थानाः- उपरोक्त तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 29 दिनांक 06.09.2025 धारा 7A, 7 PC Act 1988 व 61 (2) बी.एन.एस. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डियुटी मैजिस्ट्रेट साहब जीन्द को बजरियां E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू निरीक्षक दिनेश राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उप केन्द्र जीन्द के हवाले की जाएगी । उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक दीपक न0 875/करनाल थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Dinesh Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): PSI **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Deepak Kumar

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 875 KNL

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Error: Subreport could not be shown.